

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) चलकोर्ड बणी.

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

अंतरसिंह पुत्र कल्याणसिंह बनाम राजस्वाम - सरकार

दावा बाबत नाम डुरस्ती UK 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 143 / 2021

निर्णय दिनांक :- 29-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29-11-21 को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वयं के पिता काकर कृषि भूमि रोही गुम नरसीपुर के खाता सं: 3 व चलकोर्ड बणी के खाता सं: 4 में अंकित अंतरसिंह पुत्र कल्याण सिंह के स्वाम पर अंतरसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में सम्यक दर्ज करे। नाम डुरस्ती के संबंध में भिन्नविध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर पूर्ण विवेक से वादी की होनी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(Signature)

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तमील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़



नाम डुरस्ती 668 नरसीपुर

29-11-2021

1193

29-11-2021

(Signature)